UPRN120017142020

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

उपस्थितः कृपा शंकर (उ०प्र० न्यायिक सेवा) ID NO. UP 02625

परिवाद सं– 1016/2020

शिवपाल सिंह बनाम शिव नरायण आदि।

दिनांक 11/01/2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु पेश हुई।

प्रार्थी शिवपाल सिंह की ओर से धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए इस आशय का कथन किया गया है कि यह कि प्रार्थी अपने जानवरों का चारा पानी करने घेरा (जानवर बांधने की जगह) जाता आता है उसी रास्ते मे शिवनरायण व मलखान अपने जानवरों को बाँध देते है। दिनांक 16.07.2020 को समय लगभग शाम 4 बजे जानवरो का चारा डालने जा रहा था तभी शिवनरायण की भैंस ने प्रार्थी को जोरदार ठोकर मार दी जिससे प्रार्थी के कमर में चोट आ गयी तो प्रार्थी ने शिवनरायण को उल्हना देने गया तो शिवनरायण गाली गलौज करते हुये अपने भाइयो का फोन करने लगा और बोला अभी मै देखता हूँ कि मेरी भैंस रास्ते में क्यों नहीं बांधने देगा। प्रार्थी अपने घर चला गया तभी शिवनरायण, मलखान, भूपनरयाण, दयाराम, हाकिम पुत्रगण बाबूराम निवासी ग्राम बुढ़ना थाना राजपुर जिला कानपुर देहात के अपने अपने हाथों में लाठी डण्डा व मलखान अपने हाथ मे कुल्हाड़ी लिये प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी –भद्दी गालियां देते हुये दरवाजे पर चढ़ आये और प्रार्थी को अन्दर लेटा देख कर घर के अन्दर घुस गये और प्रार्थी को बुरी तरह से मारा पीटा जिससे प्रार्थी के दाहिने हाथ में अधिक चोट आ गई है। शोरगुल सुनकर रघुबीर, रामप्रकाश व मोहल्ले के अन्य लोग आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया तो उपरोक्त शिवनरायण आदि प्रार्थी को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये कि अबकी बार तो बच गया है लेकिन अब तुझे गाँव में नहीं रहने देंगे। जिसके बाद प्रार्थी थाना राजपुर गया किन्तु उसकी न तो रिपोर्ट लिखी गई और न ही कोई कार्यवाही ही की गई। प्रार्थी की थाने में कोई कार्यवाही न होने पर श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय सिकन्दरा कानपुर देहात के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 25.07.2020 तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिनांक 26.07.2020 को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। तब प्रार्थी ने दिनांक 28.07.2020 को जरिए रजिस्ट्रर्ड डाक से एक प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात को भेजा उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 14.08.2020 को पुनः एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उस पर भी आज दिन तक कोई कार्यवाही नही हुई। अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँकित 25/09/2020 के द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया तथा परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया । परिवादी की ओर धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत पी०डब्लू०–01 रघुवीर व पी०डब्लू०–02 शिवकुमार को परीक्षित कराया गया है। इस प्रकार विपक्षीगण शिवनरायण, मलखान, भूपनरयाण, दयाराम व हाकिम द्वारा उपहति कारित करने की तैयारी करके गृह अतिचार, मारपीट करने का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण शिवनरायण, मलखान, भूपनरयाण, दयाराम, हाकिम को अंतर्गत धारा

452, 323 भा०दं०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्तगण शिवनरायण, मलखान, भूपनरयाण, दयाराम, हाकिम को अन्तर्गत धारा – 452, 323 भा०द०सं० में तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। बाद पैरवी सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 14/03/2022 को पेश हो।

(कृपा शंकर)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
J.O code U.P 02625